भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(पुस्तिका)

दिल्ली पुलिस

संस्करण I
जनवरी 2024

टीम
दिल्ली पुलिस अकादमी

DELHI POLICE
दिल्ली पुलिस
शांति • सेवा • न्याय

प्राक्कथन

150 से अधिक वर्षों तक आपराधिक न्याय प्रशासन के आधार के रूप में कार्य करने व कालखंड में किये गये कई संशोधनों और उन्नयनों के साथ, पूर्व के तीन प्रमुख दंड विधियों को हाल ही में संसद के अधिनियमों के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तीन नए प्रमुख दंड संहिताओं का अधिनियमन हमारे देश के आपराधिक न्याय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण उपनिवेशवादोत्तर बदलाव का प्रतीक है; जिनकी विशिष्ट विशेषता पारंपरिक रूप से केवल 'दंडात्मक' होने के बजाय 'न्याय' पर केंद्रित होना है।

नए कानून, पिछली शताब्दी में एक विकासशील देश और समाज में जड़ें जमाने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए, आपराधिक न्याय प्रशासन के ढांचागत सुधार का लक्ष्य रखते हैं और वे भविष्यवादी भी हैं क्योंकि वे एक सुसंगत परिभाषा प्रदान करने और तर्कसंगत, न्यायपूर्ण और राष्ट्रवादी ढांचे में नए जमाने के अपराधों के परिणामों को निर्धारित करने का लक्ष्य रखते हैं।

आने वाले दिनों में नए कानूनों को लागू क़िया जाना है। यह एक बहु-हितधारक प्रयास होने जा रहा है जहां एनसीआरबी, बीपीआर एंड डी, आदि जैसे केंद्रीय संगठन, राज्य पुलिस बलों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नए कानूनों की ज़मीनी समझ और कार्यान्वयन के लिए, दिल्ली पुलिस ने पहले ही इस

व्यापक पुस्तिका को तैयार करने के साथ पहला कदम उठा लिया है, जो श्रीमती छाया शर्मा, विशेष पुलिस आयुक्त (प्रशिक्षण) के सक्षम नेतृत्व में हमारे प्रशिक्षण विभाग की प्रतिबद्धता और दृढ़ता को दर्शाता है।

नए कानूनों को अपनाने और लागू करने में चुनौती मुख्य रूप से 'व्यवहारिक' है। एक पुलिस बल जो कानूनों को सीखने, अभ्यास करने और आत्मसात करने के आदी हैं, और पीढ़ियों से पुराने कानून पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिसिंग की 'आधारशिला' रहे हैं, उनके लिये पहली चुनौती यह स्वीकार करना है कि परिवर्तन ही विकास का प्रमाण है अर्थात् पुराने को छोड़ नये को ग्रहण करना है और दूसरी, अनुभवी गुरुओं, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और संरचनात्मक व्यावहारिक प्रशिक्षण के अभाव में नया ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जो वास्तव में बहुत कठिन हो सकती है। यह पुस्तिका उपरोक्त दूसरी चुनौती को पूर्ण करने में सक्षम है। हमने पेशेवर प्रशिक्षक तैयार किये हैं और दिल्ली पुलिस के सत्तर हजार से अधिक कर्मियों के नये अधिनियमों के समुचित प्रशिक्षण के लिए एक कैलेंडर निर्धारित किया है।

मैं, एक बार फिर, दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण विभाग की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत की व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त कर इस पुस्तिका का मसौदा तैयार किया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि कई अन्य राज्य पुलिस बलों के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करेगा, जो हमारे पुलिसिंग प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा के भविष्य की ओर हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं।

(संजय अरोड़ा)
पुलिस आयुक्त, दिल्ली

प्रस्तावना

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 169 धाराएं हैं, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 167 धाराएं थीं। बीएसए में एक नई धारा जोड़ी गई है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 5 मौजूदा धाराओं को हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारियों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके बाद बहुत विचार-विमर्श के बाद, यह मार्गदर्शिका दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारियों की सहायता के लिए और नए 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम - 2023' की समझ को सरल बनाने के लिए बनाई गई है।

यहां, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लगभग 25 धाराएं सावधानीपूर्वक चुनी गई हैं, जिनका तुलनात्मक विश्लेषण नए अधिनियम के अनुसार किया गया है, ताकि आप पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम से इस अद्यतन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन को आसानी से समझ सकें और बेहतर गुणवत्ता वाली जांच सुनिश्चित कर सकें। प्रासंगिक धाराओं को मूल बीएसए से मूल और शब्दशः प्रतिलिपि के रूप में बॉक्स किया गया है और नए परिवर्धन को बोल्ड में हाइलाइट किया गया है।

हमारा लक्ष्य बदलाव को सुगम बनाना है, जो आपको जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने वाली व्यावहारिक जानकारियां प्रदान करता है। जैसा कि आप इस कानूनी अद्यतन को अपनाते हैं, इस पुस्तिका को इन परिवर्तनों को समझने और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपने संसाधन के रूप में लें। आइए साथ मिलकर एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करें, न्याय और समुदाय की सुरक्षा के लिए अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को बढ़ाएं और साथ ही दिल्ली पुलिस को समाज की सेवा करने वाले सर्वश्रेष्ठ संगठनों में से एक बनाएं।

टीम दिल्ली पुलिस अकादमी

DELHI POLICE
दिल्ली पुलिस
शांति • सेवा • न्याय

विषय सूची

क्र. स.	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	परिचय प्रस्तावना	10
02.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की विशेषताएं	12
03.	क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराए जो पुलिस अधिकारियों द्वारा अक्सर उपयोग मे ली जाती है।	12
04.	ख) परिभाषाओं मे परिवर्तन	13
05.	ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की संबंधित धाराएं जो पुलिस अधिकारियो द्वारा सामान्य कामकाज में अक्सर उपयोग की जाती है।	14
06.	घ) धाराओं में परिवर्तनों की व्याख्या	18
07.	अनुबंध वत अनुलग्नक -1, संशोधित आपराधिक कानूनों में डिजिटल साक्ष्य की खोज और जब्ती पर एक टिप्पणी	31
08.	अनुबंध वत अनुलग्नक -2, (सारणीबद्ध तुलना) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराए बनाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराए	41

विषय सूची

अध्याय क

प्रस्तावना पृष्ठ सं 10

अध्याय ख

प्रस्तावना पृष्ठ सं 12

अध्याय ग

प्रस्तावना पृष्ठ सं 31

अध्याय क

प्रस्तावना

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (आई.ई.ए.) वर्ष 1872 में साक्ष्य से संबंधित कानून को समेकित करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय मामलों के तथ्यों के बारे मे सही निष्कर्ष पर पहुंच सके।
- साक्ष्य का कानून विशेषण कानून की श्रेणी में आता है (मौलिक या प्रक्रियात्मक नही है)
- यह उन दलीलों और कार्यप्रणाली को परिभाषित करता है जिसके द्वारा मूल या प्रक्रियात्मक कानूनों को क्रियान्वित किया जाता है।
- मौजूदा कानून पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में हुई तकनीकी प्रगति को ठीक से संबोधित नहीं करता है।
- बी.एस.ए. 2023 का उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई के लिए साक्ष्य के लिए सामान्य नियमों और सिद्धांतों को संघठित करना और प्रदान करना है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में 167 धाराएँ हैं जबकि इस नए अधिनियम में 169 धाराएँ हैं।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पांच धारा - 22ए, धारा 82, धारा 88, धारा 113 और धारा 166 को हटा दिया गया है।
- बी.एस.ए. 2023 में एक नई धारा 61 पेश की गई है।
- बी.एस.ए. 2023 की धारा 63(4) के तहत प्रमाण-पत्र के प्रारूप (जो पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी थी) बी.एस.ए. 2023 में जोड़े गए हैं।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की अधिकांश धाराओ को बी.एस.ए, 2023 में ठीक उसी प्रकार से अपनाया गया है और कुछ में कम/ज्यादा जोड़ और परिवर्तनों के साथ अपनाया गया है। विस्तृत चर्चा पुस्तिका में बाद में की गई है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 पूरे भारत में लागू था लेकिन बी.एस.ए., 2023 की धारा 1 से 'भारत' शब्द को हटा दिया गया है। 'भारत' शब्द को हटाने का संभावित कारण भारत के क्षेत्र के बाहर एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार्य बनाना है।
- बी.एस.ए. 2023 की धारा 2(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों को उपबंधित करता है जो यहां उपयोग किए गए हैं और परिभाषित नहीं हैं लेकिन आई.टी अधिनियम-2000, बी.एन.एस.एस.-2023 और बी.एन.एस-2023 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम और संहिता में दिए गए हैं।

अध्याय ख

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की विशेषताएं

- इसमें प्रावधान है कि साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई कोई भी जानकारी शामिल है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति की अनुमति देगी।
- यह Electronic या Digital Record को उतनी वैधता एवं प्रवर्तनीयता प्रदान करता है जितनी एक सामान्य दस्तावेज की होती है।
- यह द्वितीयक साक्ष्य के दायरे का विस्तार करना चाहता है।
- यह उन तथ्यों पर सीमाएं लगाने का प्रयास करता है जो स्वीकार्य हैं और न्यायालयों में इसके प्रमाणीकरण पर भी सीमाएं लगाती हैं।

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएँ जो अक्सर पुलिस अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाती हैं।

- धारा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 32 (इकबालिया बयान)
- धारा 45, 45ए, 46, 47 और 47ए (विशेषज्ञ)
- धारा 62, 63, 64, 65, 65ए और 65बी (प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य)
- धारा 111ए, 113ए और 113बी (अनुमान)
- धारा 133 (सह-अपराधी)
- धारा 159 (याददाश्त ताजा करना)
- धारा 162 (दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण)

➤ **नए अधिनियम यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंधित धाराओं के साथ इन धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन इस पुस्तिका के अनुभाग सी और डी में विस्तृत किया जाएगा।**

➤ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और बी.एस.ए., 2023 की धाराओं की तुलना का एक विस्तृत चार्ट संलग्नित अनुलग्नक -प्प् में सारणीबद्ध रूप में उल्लिखित किया गया है।**

(ख) परिभाषाओं में परिवर्तन

बी.एस.ए, 2023 की धारा 2 (1) (डी) (पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3)-

दस्तावेज: से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या जिसका उपयोग किया जा सके और इसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं।

दृष्टांत

(i) लेख दस्तावेज है।

(ii) मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटोचित्रित शब्द दस्तावेज हैं।

(iii) मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है।

(iv) धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है।

(v) व्यंगचित्र दस्तावेज है।

(vi) ई-मेल, सर्वर लॉग, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्ट फोन में दस्तावेज, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य और डिजिटल ड़िवाइस में संग्रहित वॉयस मेल मैसेज दस्तावेज हैं ;

बी.एस.ए, 2023 की धारा 2 (1) (ई) (पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3)-

साक्ष्य: से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं—

(i) सभी कथन, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित हैं, जिसे न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुमति देता है या अपेक्षा करता है और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं ;

(ii) न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज, जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख भी हैं और ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं ;

टिप्पणियाँ:- अब, दस्तावेज और साक्ष्य की परिभाषाएँ व्यापक हो गई हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड को दस्तावेज और साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक mode और डिजिटल mode के माध्यम से की गई किसी भी गतिविधि को दस्तावेज माना जाएगा और इसका मूल्य साक्ष्य के रूप में होगा। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार साक्ष्य की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल था लेकिन अब न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी साक्ष्य है।

स्पष्टीकरण:- 'साक्ष्य' की नई परिभाषा अदालतों को विचारण के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गवाहों से पूछताछ करने का अधिकार देती है। इसे बी.एन.एस.एस. की धारा 530 के अनुरूप जोड़ा गया है। (परिक्षण और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जाएगी)

(ग) बी.एस.ए, 2023 की संबंधित धाराएं जो पुलिस अधिकारियों द्वारा सामान्य कामकाज में अक्सर उपयोग की जाती हैं:-

क्र. सं.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	शीर्षक	बी.एस.ए. 2023	शीर्षक	कोई बदलाव हुआ या नहीं
1.	धारा 24	उत्पेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है।	धारा 22	उत्पेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है।	**'प्रपीड़न' (Coercion) जोड़ा गया।**

क्र. सं.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	शीर्षक	बी.एस.ए. 2023	शीर्षक	कोई बदलाव हुआ या नहीं
2.	धारा 25	पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति मान्य नहीं है।	धारा 23(1)	पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति	कोई परिवर्तन नहीं है।
3.	धारा 26	पुलिस की हिरासत (अभिरक्षा) में अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरूद्ध साबित न किया जाना	धारा 23(2)	पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति	कोई परिवर्तन नहीं है।
4.	धारा 27	अभियुक्त से प्राप्त जानकारी मे से कितनी साबित की जा सकेगी	धारा 23 का प्रावधान	पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति	कोई परिवर्तन नहीं है।
5.	धारा 28	उत्पे्ररणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात् की गई संस्वीकृति सुसंगत है।	धारा 22 का प्रावधान।	उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही मे कब विसंगत होती है।	**'प्रपीड़न' (Coercion) जोड़ा गया।**
6.	धारा 29	अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न होना	धारा 22 का प्रावधान II	उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही मे कब विसंगत होती है।	**'प्रपीड़न' (Coercion) जोड़ा गया।**

क्र. सं.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	शीर्षक	बी.एस.ए. 2023	शीर्षक	कोई बदलाव हुआ या नहीं
7.	धारा 30	साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना	धारा 24	साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना	**स्पष्टीकरण-II जोडा गया।**
8.	धारा 32	वे दशाऐं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है, या मिल नही सकता, इत्यादि	धारा 26	वे दशाऐं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है, या मिल नही सकता, इत्यादि	कोई परिवर्तन नहीं है।
9.	धारा 45	विशेषज्ञों की रायें	धारा 39(1)	विशेषज्ञों की रायें	**शब्द 'या किसी, अन्य क्षेत्र में (Or any, other field) जोडा गया।**
10.	धारा 45क	इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय	धारा 39(2)	विशेषज्ञों की राय	कोई परिवर्तन नहीं है।
11.	धारा 47	हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है।	धारा 41(1)	हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे मे राय कब सुसंगत है।	कोई परिवर्तन नहीं है।
12.	धारा 47क	इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे मे राय कब सुसंगत है।	धारा 41(2)	इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे मे राय कब सुसंगत है।	कोई परिवर्तन नहीं है।
13.	धारा 62	प्राथमिक साक्ष्य	धारा 57	प्राथमिक साक्ष्य	**स्पष्टीकरण 4, 5, 6 और 7 जोड़े गए**

क्र. सं.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	शीर्षक	बी.एस.ए. 2023	शीर्षक	कोई बदलाव हुआ या नहीं
14.	धारा 63	द्वितीयक साक्ष्य	धारा 58	द्वितीयक साक्ष्य	**उप खंड (vi), (vii) और (viii) जोड़े गया।**
15.	धारा 64	दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना	धारा 59	दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना	कोई परिवर्तन नहीं है।
16.	धारा 65	अवस्थाए जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा।	धारा 60	अवस्थाए जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा।	कोई परिवर्तन नहीं है।
17.			धारा 61	इलैक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख	**नई धारा जोड़ी गई।**
18.	धारा 65क	इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे मे विशेष उपबंध	धारा 62	इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे मे विशेष उपबंध	कोई परिवर्तन नहीं है।
19.	धारा 65ख	इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखो की ग्राह्यता (स्वीकार्यता)	धारा 63	इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखो की ग्राह्यता (स्वीकार्यता)	**सामग्री परिवर्तन किया गया।**
20.	धारा 111क	कुछ अपराधों के बारे मे उपधारणा	धारा 115	कुछ अपराधों के बारे मे उपधारणा	कोई परिवर्तन नहीं है।
21.	धारा 113क	किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा	धारा 117	किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा	कोई परिवर्तन नहीं है।
22.	धारा 113ख	दहेज मृत्यु के बारे मे उपधारणा	धारा 118	दहेज मृत्यु के बारे मे उपधारणा	कोई परिवर्तन नहीं है।

क्र. सं.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	शीर्षक	बी.एस.ए. 2023	शीर्षक	कोई बदलाव हुआ या नहीं
23.	धारा 133	सहअपराधी	धारा 138	सहअपराधी	परिवर्तन किया गया।
24.	धारा 159	याददाश्त ताजा करना	धारा 162	याददाश्त ताजा करना	कोई परिवर्तन नहीं है।
25.	धारा 162	दस्तावेजों को पेश किया जाना	धारा 165	दस्तावेजों को पेश किया जाना	परिवर्तन किया गया।

घ) धाराओं में परिवर्तनों की व्याख्याः-

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पुरानी धारा	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की नई धारा
धारा - 24, 28 और 29	धारा - 22

उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति, दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है

अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में विसंगत होती है, यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान् व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त है कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में लौकिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा :

परंतु यदि संस्वीकृति ऐसी किसी उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन से कारित प्रभाव के पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात् की गई है, तो वह सुसंगत है :

परंतु यह और कि यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, तो वह केवल इसलिए विसंगत नहीं हो

जाती कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणामस्वरूप, या उस समय जब कि वह मदोन्मत्त था, की गई थी या इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के, चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों न रहा हो, उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, या केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा।

टिप्पणीया:- संस्वीकृति बयान से संबंधित धाराओं मे एक नया शब्द ''प्रपीड़न'' जोडा गया। इस शब्द को कानूनी रूप से परिभाषित नही किया गया है लेकिन इसका शब्दकोश अर्थ है कि किसी को जबरदस्ती कुछ ऐसा करने के लिए बाधित करने की एक क्रिया या प्रक्रिया है जो वह नही करना चाहता है। ''प्रपीड़न'' के पर्यायवाची शब्द बल, दबाव, धमकी, भयभीत, बाधित, डराना-धमकाना, विवश, अवरोध, धौंस जमाना। संस्वीकृति बयान को आपराधिक कार्यवाही में अप्रांसगिक माना जायेगा यदि यह प्रतीत होता है कि ऐसा इसके कारण हुआ है:-

1. कोई उत्प्रेरणा
2. धमकी
3. प्रपीड़न
4. या वचन

उपरोक्त उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन अभियुक्त के खिलाफ आरोपो से जुड़ा हुआ होना चाहिए और किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति की ओर से आना चाहिए।

न्यायालय की राय में, उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन अभियुक्त को उचित आधार देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि ऐसा करने से उसके खिलाफ कार्यवाही के संदर्भ में कोई लाभ मिलेगा या किसी नुकसान से बचा जा सकेगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पुरानी धारा	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की नई धारा
धारा - 30	धारा - 24

साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना

जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा में प्रयुक्त "अपराध" शब्द के अन्तर्गत, उस अपराध का दुष्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न आता है।

स्पष्टीकरण 2—एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण किसी ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में किया जाता है, जो भगौड़ा है या जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में असफल रहता है, इस धारा के प्रयोजन के लिए संयुक्त विचारण समझा जाएगा।

दृष्टांत

(क) क और ख को ग की हत्या के लिए संयुक्तत: विचारण किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि क ने कहा कि "ख और मैंने ग की हत्या की है।" ख के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा।

(ख) ग की हत्या करने के लिए क का विचारण हो रहा है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि ग की हत्या क और ख द्वारा की गई थी और यह कि ख ने कहा था कि "क और मैंने ग की हत्या की है"। न्यायालय इस कथन को क के विरुद्ध विचार में नहीं ले सकेगा, क्योंकि ख का संयुक्तत: विचारण नहीं हो रहा है।

टिप्पणीयॉ:- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पिछली धारा 30 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 नई धारा 24 की भाषा में कोई परिवर्तन नही है, सिवाय इसके कि बाद में स्पष्टीकरण प्प् जोड़ा गया है।

इस परिवर्तन में इस अर्थ में एक महत्वपूर्ण अन्तर ला दिया है कि यदि कोई भगोड़ा था या उद्घोषी अपराधी घोषित किया जा चुका हो तो उनका विचारण रोक दिया जाता था लेकिन अब भगोड़ा या उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ विचारण किया जा सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पुरानी धारा	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की नई धारा
धारा - 45 व 45ए	धारा - 39

विशेषज्ञों की रायें

जब न्यायालय को, विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला या किसी अन्य क्षेत्र की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली-चिह्नों की पहचान के बारे में राय बनानी है तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला या किसी अन्य क्षेत्र में या हस्तलेख या अंगुली-चिह्नों की पहचान विषयक प्रश्नों में, विशेष कुशल व्यक्तियों की रायें सुसंगत तथ्य हैं और ऐसे व्यक्तियों को विशेषज्ञ कहा जाता हैं।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई। जिस विष के बारे में यह अनुमान है कि उससे क की मृत्यु हुई है, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क अमुक कार्य करने के समय चित्त-विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं कि क्या क द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से चित्त-विकृति सामान्यतः दर्शित होती है और क्या ऐसी चित्त-विकृति व्यक्तियों को उन कार्यों की प्रकृति, जिन्हें वे करते हैं, या वह कि जो कुछ वे करते हैं वह या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल हैं, जानने में प्रायः असमर्थ बना देती है।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क द्वारा लिखा गया था। एक अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है जिसका क द्वारा लिखा जाना साबित या स्वीकृत है। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों

की रायें सुसंगत हैं कि क्या दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे गए थे।

(2) जब न्यायालय को किसी कार्यवाही में किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक या डिजिटल रूप में पारेषित या संग्रहीत किसी सूचना के संबंध में कोई राय बनानी हो तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79क में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक एक विशेषज्ञ होगा।

टिप्पणीयां:- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पिछली धारायें 45, 45क को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की नई धारा 39 में मिला दिया गया है। नई धारा मगंबसजल पिछली धारा के समान है, **''या किसी अन्य क्षेत्र''** को जोडनें के अलावा। इन नये शब्दों के जुड़ने से विशेषज्ञों की परिभाषा अधिक व्यापक हो गई है और अब तक अज्ञात क्षेत्रों मे अधिक विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पुरानी धारा	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की नई धारा
धारा - 62	धारा - 57

प्राथमिक साक्ष्य

प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 1—जहां कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है वहां प्रत्येक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है।

स्पष्टीकरण 2—जहां कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और प्रत्येक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां प्रत्येक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, प्राथमिक साक्ष्य है।

स्पष्टीकरण 3—जहां अनेक दस्तावेज एकरूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से प्रत्येक शेष सबकी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किन्तु जहां वे सब किसी एक ही मूल की प्रतियां हैं वहां वे मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं हैं।

स्पष्टीकरण 4—जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख सृजित या संग्रहित किया जाता है और ऐसा संग्रह एक साथ या पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है, उनमें से प्रत्येक फाइल प्राथमिक साक्ष्य है।

स्पष्टीकरण 5—जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख समुचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा इलैक्ट्रानिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य है, जब तक कि वह विवादग्रस्त नहीं है।

स्पष्टीकरण 6—जहां किसी वीडियो रिकार्डिंग को इलैक्ट्रानिक प्ररूप में एक साथ संग्रहित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित या प्रसारित या अंतरित किया जाता है तो प्रत्येक संग्रहित रिकार्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है।

स्पष्टीकरण 7—जहां किसी इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख को किसी कंप्यूटर संसाधन में एक से अधिक संग्रहण स्थान में संग्रहित किया जाता है, ऐसा प्रत्येक स्वचालित संग्रहण, जिसके अंतर्गत अस्थायी फाइलें भी हैं, प्राथमिक साक्ष्य हैं।

दृष्टांत

यह दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मुद्रित अनेक प्लेकार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं। इन प्लेकार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी की भी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है किन्तु उनमें से कोई भी मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है।

टिप्पणीया:- नई धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख/डिजिटल अभिलेख को भी प्राथमिक साक्ष्य माना है। इस धारा में कोई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन नही है। इस धारा में किए गये परिवर्तनों के साथ साथ संशोधित आपराधिक कानून में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य की खोज और जब्ती की प्रक्रिया को समझाने वाला एक व्यापक नोट अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पुरानी धारा	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की नई धारा
धारा - 63	धारा - 58

द्वितीयक साक्ष्य

द्वितीयक साक्ष्य के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां;

(ii) मूल से ऐसी यान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां और ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां;

(iii) मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां;

(iv) उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख;

(v) किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा, जिसने स्वयं उसे देखा है, दिया हुआ मौखिक वृत्तांत ;

(vi) **मौखिक स्वीकृतियां ;**

(vii) **लिखित स्वीकृतियां ;**

(viii) **किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिसने किसी दस्तावेज की जांच की है, जिसके मूल में अनेक लेखें या अन्य दस्तावेज अंतर्विष्ट हैं, जिनकी सुविधाजनक रूप से न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में कुशल है।**

दृष्टांत

(क) किसी मूल का फोटोचित्र, यद्यपि दोनों की तुलना न की गई हो तथापि यदि यह साबित किया जाता है कि फोटोचित्रित वस्तु मूल थी, उस मूल की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है।

(ख) किसी पत्र की वह प्रति, जिसकी तुलना उस पत्र की, उस प्रति से कर ली गई है जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है, उस पत्र की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है, यदि यह दर्शित कर दिया जाता है कि प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से बनाई गई थी।

(ग) किसी प्रति की नकल करके तैयार की गई किन्तु तत्पश्चात् मूल से तुलना की हुई प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य है ; किन्तु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, यद्यपि उस प्रति की, जिससे वह नकल की गई है, मूल से तुलना की गई थी।

(घ) न तो मूल से तुलना की हुई प्रति का मौखिक वृत्तान्त और न मूल के किसी फोटोचित्र या यंत्रकृत प्रति का मौखिक वृत्तान्त मूल का द्वितीयक साक्ष्य है।

टिप्पणीयॉ:- द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा अधिक व्यापक हो गई है, जहॉ मौखिक और लिखित संस्वीकृति को द्वितीयक साक्ष्य माना गया है।

इसके अलावा, ऐसे मामलों मे जहॉ रिकॉर्ड बड़ी मात्रा में है और अदालत में इसकी जॉच करना संभव नही है, तो दस्तावेजों की जॉच करने वाले परीक्षक/विशेषज्ञ के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना जायेगा।

इस धारा पर आगे की टिप्पणीयों के लिए **अनुबंध-1** का भी संदर्भ लिया जा सकता है।

नोट:- द्वितीयक साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में प्राथमिक साक्ष्य के बारे मे प्रतियों या गवाही को संदभित करता है और इसे प्राथमिक साक्ष्य का विकल्प माना जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पुरानी धारा	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की नई धारा
नई धारा	धारा - 61

इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख

इस अधिनियम की कोई बात इस आधार पर साक्ष्य में किसी इलैक्ट्रानिक या डिजिटल साक्ष्य की ग्राह्यता से इंकार नहीं करेगी कि यह कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख है और धारा 63 के अधीन रहते हुए ऐसे अभिलेख का वही विधिक प्रभाव, विधिमान्यता और प्रवर्तनशीलता होगी, जो किसी अन्य अभिलेख की होती है।

टिप्पणीयॉ:- नई धारा जोड़ी गई है, जिसमें इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड/डिजिटल रिकॉर्ड की ग्राह्यता को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है।

इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 के साथ पढ़ा जा सकता है। (पुलिस द्वारा गवाहों की जांचः बशर्ते की इस उपधारा के तहत् दिये गये बयान को ऑडियो-विडिओ, इलैक्ट्रानिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकें)

इस धारा पर आगे की टिप्पणीयों के लिए **अनुबंध-1** का भी संदर्भ लिया जा सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पुरानी धारा	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की नई धारा
धारा - 65 ख	धारा - 63

इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी, जो कंप्यूटर या किसी संसूचना डिवाइस या अन्यथा द्वारा संग्रहित, अभिलिखित या किसी इलैक्ट्रानिक प्ररूप द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया या अर्ध-चालक मेमोरी में संग्रहित, अभिलिखित या नकल की गई है (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर आउटपुट कहा गया है), तब कोई दस्तावेज समझा जाएगा, यदि प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में, इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता, अतिरिक्त सबूत या मूल को प्रस्तुत किए बिना ही किन्हीं कार्यवाहियों में ग्राह्य होगा।

(2) कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(क) सूचना से युक्त कंप्यूटर आउटपुट, कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कंप्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सृजन, सूचना संग्रह करने या प्रोसेस करने के लिए नियमित रूप से कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस का उपयोग किया गया था ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की, जिससे इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना व्युत्पन्न की जाती है, उक्त क्रियाकलापों के साधारण अनुक्रम में कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस में नियमित रूप से भरी गई थी ;

(ग) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में सर्वत्र, कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस समुचित रूप से कार्य कर रही थी या नहीं तो, उस अवधि के संबंध में, जिसमें कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था या वह उस अवधि के भाग के दौरान प्रचालन में नहीं था, ऐसी अवधि नहीं थी जिससे इलैक्ट्रानिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती हो ; और

(घ) इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुन: उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है, जिसे उक्त क्रियाकलापों के साधारण अनुक्रम में कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस में भरा गया था।

(3) जहां किसी अवधि में, उपधारा (2) के खंड (क) में यथा उल्लिखित, उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के सृजन, संग्रह या प्रोसेस का कार्य एक या अधिक कंप्यूटरों या संसूचना डिवाइस द्वारा नियमित रूप से किया गया था, चाहे वह—

(क) एकल ढंग में ; या

(ख) किसी कंप्यूटर प्रणाली पर ; या

(ग) किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर ; या

(घ) सूचना को समर्थ बनाने, सूचना का सृजन या उपलब्ध कराने वाले, प्रोसेस और संग्रह करने वाले किसी कंप्यूटर साधन पर ; और

(ङ) किसी मध्यवर्ती के माध्यम से,

उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटरों या संसूचना डिवाइस को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस समझा जाएगा ; और इस धारा में किसी कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस के प्रति निर्देशों का अर्थ तद्नुसार किया जाएगा।

(4) किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाणपत्र को प्रत्येक बार इलैक्ट्रानिकी अभिलेख के साथ वहां प्रस्तुत किया जाएगा जहां इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् :—

(क) विवरण से युक्त इलैक्ट्रानिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था ;

(ख) उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्वलित किसी डिवाइस को ऐसी विशिष्टियां देना, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख का कंप्यूटर या उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी संसूचना डिवाइस द्वारा उत्पादन किया गया था ;

(ग) ऐसे विषयों में से किसी पर कार्रवाई करना, जिससे उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित होना, जो कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध (जो भी समुचित हो) का भारसाधक है तथा कोई विशेषज्ञ है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा ; और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के बारे में यह कथन पर्याप्त होगा कि कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) सूचना किसी कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस को प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि यह किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदाय सीधे (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम द्वारा किया गया हो ;

(ख) कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (ङ) में यथानिर्दिष्ट किसी समुचित उपस्कर या अन्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से हो।

टिप्पणी: इस धारा पर आगे की टिप्पणीयों के लिए **अनुबंध-1** का भी संदर्भ लिया जा सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पुरानी धारा	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की नई धारा
धारा - 133	धारा - 138

सह-अपराधी

सह-अपराधी, किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि इसलिए अवैध नहीं है यदि वह किसी सह-अपराधी के सम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

टिप्पणी:

- इससे पहले, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 133 में कानून का निर्माण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 (अब 119 बी.एस.ए.) के दृष्टांत के साथ विरोधाभास में था। इसे अब ठीक कर लिया गया है।
- धारा 119 (1) (ख) के साथ यह भी पढ़ेः सह-अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, तब तक तात्विक विशिष्टियों में उसकी सम्पुष्टि नहीं होती।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पुरानी धारा	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की नई धारा
धारा - 162	धारा - 165

दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना

(1) किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए समन किए गए साक्षी, यदि वह उसके कब्जे में या अधिकार के अधीन हो, ऐसे किसी आक्षेप के होने पर भी, जो उसे प्रस्तुत करने या उसकी ग्राह्यता के बारे में हो, उसे न्यायालय में लाएगा :

परंतु ऐसे किसी आक्षेप की विधिमान्यता न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

(2) न्यायालय, यदि यह ठीक समझे, तो उस दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा, यदि वह राज्य की बातों से संबंधित नहीं है, या स्वयं को उसकी ग्राह्यता अवधारित करने में समर्थ बनाने के लिए अन्य साक्ष्य ले सकेगा।

(3) यदि ऐसे प्रयोजन के लिए किसी दस्तावेज का अनुवाद कराना आवश्यक हो तो न्यायालय, यदि यह ठीक समझे, तो अनुवादक को निदेश दे सकेगा कि वह उसकी अन्तर्वस्तु को गुप्त रखे, सिवाय जबकि दस्तावेज को साक्ष्य में दिया जाना हो ; और यदि अनुवादक ऐसे निदेश की अवज्ञा करे, तो यह धारित किया जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 198 के अधीन अपराध किया है :

परंतु कोई न्यायालय, मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच हुई किसी संसूचना को इसके समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा।

टिप्पणी: सभी जांच अधिकारियों को सचेत किया जाए कि जांच के दौरान इस तरह के संचार की मांग नहीं की जाएगी।

अध्याय ग

अनुलग्नक - I

संशोधित आपराधिक कानूनों में डिजिटल साक्ष्य की खोज और जब्ती पर एक टिप्पणी:

नई आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का मुद्दा दो प्रकार के डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्यों के इर्द-गिर्द घूमता है:

1. **पहले से उपलब्ध साक्ष्य जिन्हें जांच के दौरान खोजा और जब्त किया जाना है।**

2. **तलाशी, जब्ती, बयान आदि की प्रक्रिया की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उत्पादित डिजिटल साक्ष्य।**

डिजिटल साक्ष्यों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

(क) **वैधानिकताएँ:** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में कानून निर्धारित किया गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर तलाशी और जब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड की जानी चाहिए, जबकि कुछ स्थितियों में बयान ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी दर्ज किए जा सकते हैं, जिन्हें सबूत के तौर पर अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बी.एस.ए) में, कोई भी डेटा/रिकॉर्ड किसी भी भंडारण मीडिया में सीधे संग्रहीत और उचित हिरासत से उत्पादित प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा, जब तक विवादित ना हो। हालाँकि, इसकी सामग्री को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में धारा 63 (4) बी.एस.ए के तहत प्रमाण पत्र के साथ साबित किया जाएगा।

इस कानून से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स/डिजिटल डेटा वाला कोई भी भंडारण मीडिया, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में सराहना के लिए प्रस्तुत ऐसे भंडारण मीडिया की सामग्री (मानव समझने योग्य रूप में) से अलग है।

दूसरे शब्दों में, कंप्यूटर डिवाइस द्वारा सीधे उत्पादित डेटा/रिकॉर्ड युक्त भंडारण मीडिया, प्राथमिक साक्ष्य है, लेकिन जब इसे साक्ष्य के रूप में ऐसे मीडिया से मानव समझ योग्य रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे द्वितीयक डेटा (मूल डेटा की प्रतिलिपि) के रूप में प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।

अनुभाग 57 का स्पष्टीकरण 4—जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख सृजित या संग्रहित किया जाता है और ऐसा संग्रह एक साथ या पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है, उनमें से प्रत्येक फाइल प्राथमिक साक्ष्य है।

ईमेल थ्रेड्स (Email Threads): एक वार्तालाप अलग अलग समय पर भेजे और प्राप्त किए गए कई ईमेल संदेशो पर आधारित होता है। थ्रेड में प्रत्येक ईमेल (संलग्नक सहित/with attachment) प्राथमिक साक्ष्य है क्योंकि वे सामूहिक रूप से सूचना के कालानुक्रमिक (Chronological) आदान-प्रदान को दर्शाते है।

बैकअप और पुरालेख (Archive): एक कंप्यूटर फाइल का नियमित रूप से बैकअप लिया जाता है, जिससे विभिन्न समय पर कई संस्करण बनते हैं। प्रत्येक बैकअप फाइल प्राथमिक साक्ष्य है क्योंकि यह उस विशिष्ट समय में फाइल की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है।

वेबसाइट सामग्री: एक वेबसाइट की सामग्री एच.टी.एम.एल, सी.एस.एस., जावा स्क्रिप्ट और छवियों (Images) जैसी कई फाइलों में संग्रहीत होती है। प्रत्येक फाइल प्राथमिक साक्ष्य है क्योंकि यह उस समय वेबसाइट के समग्र प्रतिनिधित्व में योगदान देती है।

चैट लॉग्स: चैट प्लेटफॉर्म पर बातचीत को संदेशों के अनुक्रम में रिकॉर्ड किया जाता है। लॉग में प्रत्येक संदेश प्राथमिक साक्ष्य है क्योंकि यह बातचीत के प्रवाह और सामग्री को दर्शाता है।

अनुभाग 57 का स्पष्टीकरण 5—जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख समुचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा इलैक्ट्रानिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य है, जब तक कि वह विवादग्रस्त नहीं है।

'समुचित अभिरक्षा' का अर्थ है कि अभिलेख को उचित पहुंच, नियंत्रण और ऑडिट ट्रेल्स ;।नकपज ज्तंपसेद्ध के साथ एक सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणाली में बनाए रखा गया था। (कृपया बी.एस.ए. की धारा 81 स्पष्टीकरण के साथ, धारा 93 देखें)

यह नियम पूर्ण स्वीकार्यता (admissibility)की गारंटी नहीं देता है, विरोधी पक्ष अभी भी अभिलेख की प्रामाणिकता, सटीकता या पूर्णता को चुनौती दे सकता है।

सबूत को साबित करने की जिम्मेवारी अंतत: सबूत पेश करने वाले पक्ष पर होता है, लेकिन प्रारंभ में, 'समुचित अभिरक्षा' अभिलेख के साक्ष्य मूल्य को मजबूत करती है।

सुरक्षित सर्वर से ईमेल:

एक कंपनी का दावा है कि एक ग्राहक के साथ ईमेल एक्सचेंज (आदान-प्रदान) के माध्यम से एक अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया था।

कंपनी अपने आधिकारिक ईमेल सर्वर से ईमेल थ्रेड तैयार करती है, जिसमें पूरी बातचीत और संलग्नक (attachments) दिखाते हैं।

चूंकि इन ईमेलों को समुचित अभिरक्षा (एक्सेस नियंत्रण/access control के साथ कंपनी सर्वर) में रखा गया था, इसलिए इन्हें अनुबंध की शर्तों के लिए प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है।

विरोधी पक्ष ईमेल की प्रामाणिकता पर विवाद कर सकता है या तर्क दे सकता है कि उनकी सामग्री सही समझौते को प्रकट नहीं करती है, लेकिन सबूत का प्रारंभिक भार ईमेल प्रस्तुत करने वाली कंपनी पर है।

सुरक्षित रिकॉर्डर से सीसीटीवी फुटेज:

पुलिस एक दुकान में डकैती की जांच करती है और सुरक्षा प्रणाली में जो सी.सी.टी.वी. system है उससे फुटेज प्राप्त करती है।

सिस्टम के सुरक्षित रिकॉर्डर पर संग्रहीत फुटेज, जो केवल अधिकृत कर्मियों के लिए ही पहुंच योग्य है, को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है।

बचाव पक्ष तर्क दे सकता है कि फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है या कथित अपराधी को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है, लेकिन उचित अभिरक्षा से फुटेज पेश करने वाला अभियोजन पक्ष इसके प्रारंभिक साक्ष्य भार को स्थापित करता है।

बैंक के सुरक्षित डेटाबेस से वित्तीय अभिलेख:

एक व्यक्ति पर वित्तीय कदाचार का आरोप लगाया जाता है और अधिकारी बैंक के सुरक्षित डेटाबेस से उनके बैंक विवरण तक पहुँचते हैं।

उचित ऑडिट ट्रेल्स और पहुंच नियंत्रण के साथ बनाए गए इन विवरणों (Statement) को वित्तीय लेनदेन का प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है।

अभियुक्त बयानों की सटीकता पर विवाद कर सकता है या अनाधिकृत पहुंच का दावा कर सकता है, लेकिन सबूत का प्रारंभिक भार अभियोजन पक्ष पर समुचित अभिरक्षा से अभिलेख पेश करने का है।

सेवा प्रदाता (Service provider) के सर्वर से सोशल मीडिया पोस्ट:

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए अपमानजनक बयानों के लिए एक व्यक्ति दूसरे पर मुकदमा करता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने सुरक्षित डेटाबेस से समय मोहर (time stamp) और उपयोगकर्ता जानकारी सहित विवादित पोस्ट की प्रमाणित प्रति प्रदान करता है।

उचित अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों (रिकॉर्ड-कीपिंग प्रैक्टिस) के साथ बनाए गए इन पोस्टों को कथित मानहानि का प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है।

प्रतिवादी पोस्ट के संदर्भ पर बहस कर सकता है या हैक (Hack) किए गए खाते का दावा कर सकता है, लेकिन साक्ष्य का प्रारंभिक भार वादी पर है जो पोस्ट को समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत करता है।

अनुभाग 57 का स्पष्टीकरण 6—जहां किसी वीडियो रिकार्डिंग को इलैक्ट्रानिक प्ररूप में एक साथ संग्रहित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित या प्रसारित या अंतरित किया जाता है तो प्रत्येक संग्रहित रिकार्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है। उदाहरण:

एक डेटा को एक ही डेटा स्ट्रीम के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर भंडारित किया जाता है।

सभी भंडारित रिकॉर्डिंग एक ही विडिओ कैप्चर इंवेट से होनी चाहिए।

प्रत्येक रिकॉर्डिंग को उचित समय मोहर और मेटाडाटा के साथ सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से बनाए रखा जाना चाहिए।

सुरक्षा कैमरे का डेटा स्थानीय रूप से या क्लाउड पर बैकअप के साथ भंडारित किया जाता है:

एक सुरक्षा कैमरे द्वारा लूट की घटना का विडियो कैद किय जाता है। फुटेज को एक साथ कैमरे की आंतरिक मैमोरी में भंडारित किया जाता है और एक केन्द्रीय रिकॉर्डिंग सर्वर पर प्रेषित किया जाता है।

कैमरे पर फुटेज और सर्वर पर रिकॉर्डिंग दोनो को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है क्योंकि वे विभिन्न स्थानों से एक ही घटना का प्रतिनिधित्व करते है।

यह विवरण की पुष्टि करने या विडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

लाईव स्ट्रीमिंग को विभिन्न स्टोरेज मीडिया पर प्रसारित और रिकॉर्ड किया जा रहा है:

एक संगीत कार्यक्रम या खेल जैसे लाइव कार्यक्रम को एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ही समय में प्रसारित किया जाता है और आयोजक द्वारा स्थानीय रूप से रिकॉर्ड किया जाता है।

स्ट्रीमिंग की गई रिकॉर्डिंग और स्थानीय रिकॉर्डिंग दोनों को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है क्योंकि वे एक ही घटना को अलग-अलग दृष्टिकोण से पकड़ते हैं।

यदि लाइवस्ट्रीम में कोई तकनीकी समस्या है या किसी विशिष्ट कोण या विवरण को सत्यापित करने की

आवश्यकता है तो यह सहायक हो सकता है।

विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा रिकॉर्ड की जा रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल:

एक महत्वपूर्ण बैठक या साक्षात्कार (interview) एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाता है जो कॉल (video call) को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करता है।

प्लेटफॉर्म के सर्वर पर भंडारित रिकॉर्डिंग और प्रतिभागियों द्वारा सहेजी गई स्थानीय रिकॉर्डिंग दोनों को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है।

यदि ऑडियो गुणवत्ता में विसंगतियां हैं या विशिष्ट कथनों को सत्यापित करने की आवश्यकता है तो यह सहायक हो सकता है।

क्लाउड बैकअप के साथ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग:

एक खुदरा स्टोर एक सीसीटीवी प्रणाली का उपयोग करता है जो एक रिकॉर्डर पर स्थानीय रूप से वीडियो फुटेज संग्रहीत करता है और साथ के साथ इसे क्लाउड स्टोरेज सेवा पर भी store करता है।

स्थानीय रिकॉर्डिंग और क्लाउड बैकअप दोनों को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है क्योंकि वे सिस्टम विफलताओं के मामले में अतिरेक और पहुंच प्रदान करते हैं।

यह जांच और साक्ष्य संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

अनुभाग 57 का स्पष्टीकरण 7—जहां किसी इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख को किसी कंप्यूटर संसाधन में एक से अधिक संग्रहण स्थान में संग्रहित किया जाता है, ऐसा प्रत्येक स्वचालित संग्रहण, जिसके अंतर्गत अस्थायी फाइलें भी हैं, प्राथमिक साक्ष्य हैं ।

1. **हटाई गई फाइलें पुनर्प्राप्त की गई**

   एक संदिग्ध व्यक्ति अभियोगात्मक साक्ष्य वाली फाइल को मिटा देता है, लेकिन फोरेंसिक सॉफ्टवेयर फाइल के भागों को विभिन्न स्थानों जैसे कि असंबद्ध स्थान, अस्थायी फोल्डर और सिस्टम कैश (cache) से पुनर्प्राप्त करता है।

   प्रत्येक पुनर्प्राप्त भाग, भले ही अधूरा हो, प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है क्योंकि यह मूल फाइल के पुनर्निर्माण और उसके अस्तित्व को साबित करने में योगदान देता है।

2. **वेब ब्राउजिंग इतिहास**

   ऑनलाइन गतिविधि की जॉच उपयोगकर्ता के वेब ब्राउजिंग इतिहास का अन्वेषण करती है, जिसमें कैश्ड छविया (image), कुकीज और अस्थायी इंटरनेट फाइलें शामिल हैं।

ये अस्थायी फाइलें, मुख्य ब्राउजिंग इतिहास के साथ, विजिट की गई वेबसाइटों, खोजे गए की-वर्ड और डाउनलोड की गई सामग्री (Content) को प्रकट कर सकती हैं, जो ऑनलाइन गतिविधि के प्राथमिक साक्ष्य के रूप में काम करती हैं।

3. सिस्टम रजिस्ट्री प्रविष्टियाँ

विंडोज रजिस्ट्री विभिन्न सिस्टम घटकों के लिए विन्यास (Configuration) सेटिंग्स और डेटा संग्रहीत करती है।

विशिष्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, फाइल एक्सेस टाइमस्टैम्प या उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं से संबंधित प्रविष्टियाँ रजिस्ट्री से निकाली जा सकती हैं, जो फोरेंसिक जांच या सॉफ्टवेयर विश्लेषण के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में काम करती हैं।

- **कंप्यूटर में कुछ भी प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। सभी अभिलेख द्वितीयक हैं। प्राथमिक कंप्यूटर की बाइनरी भाषा है, लेकिन धारा 57 के साथ स्पष्टीकरण 4 से 7 के तहत बी.एस.ए. में हाल के संशोधनों के साथ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी साक्ष्य का प्राथमिक वर्ग माना गया है। इस बारे में अभी भी अस्पष्टता है कि क्या धारा 57 के तहत स्पष्टीकरण 4 से 7 में उल्लिखित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डेटा बनाए रखने और अदालत में प्रस्तुत करने के मामले में धारा 63(4) (सी) के तहत प्रमाण पत्र की अभी भी आवश्यकता होगी चूंकि यह अब साक्ष्य का प्राथमिक वर्ग है। यदि मूल उपकरण/दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो 63 प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा 61 और धारा 62 के सहयोग से समस्या कुछ हद तक हल हो गई है।**

ख. तकनीकी: हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल डेटा/सूचना जिसे इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल मीडिया स्टोरेज में एकत्र किया जा सकता है, उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे डेटा/सूचना/अभिलेख का स्रोत हो सकता है:

i. **हार्डवेयर:** कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, स्टोरेज मीडिया, नेटवर्क परिधीय ।

ii. **सॉफ्टवेयर:** ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लिकेशन, फर्मवेयर, दुर्भावनापूर्ण (malicious) कोड।

iii. **डेटा:** दस्तावेज, ईमेल, चित्र, ऑडियो/वीडियो फाइलें, लॉग, मेटाडेटा।

iv. **ऑनलाइन साक्ष्य:** सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, वेबसाइट, इंटरनेट गतिविधि लॉग।

डेटा/सूचना निकालने, संरक्षण, विश्लेषण और अदालत में साक्ष्य के रूप में ऐसी सामग्री की प्रस्तुति की एक प्रक्रिया है। डिजिटल साक्ष्य की अखंडता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह प्रकृति में बहुत

परिवर्तनशील और नाजुक है जो दूर से ही विकृत (Corrupted) हो सकता है।

डिजिटल डेटा दो प्रकार के होते हैं यानी एक गैर-अस्थाई (non-volatile) माध्यम में सहेजी गई स्थिति में होता है और दूसरा प्रकृति में गतिशील होता है और अस्थायी रूप से अस्थिर माध्यम (volatile medium) में मौजूद रहता है।

गैर-अस्थाई (non-volatile) माध्यम में सहेजे गए डेटा को गैर-अस्थाई माध्यम में प्रतिबिंबित/छविकृत (mirriored/imaged) किया जाता है और इसकी समग्रता और अखंडता को प्रतिबिम्ब और लेखन-अवरोधक (Write-blocking) द्वारा सुनिश्चित किया जाता है ताकि सूचना का प्रवाह एक तरफा हो और उपयोगकर्ता की ओर से लक्षित डेटा में कोई बदलाव न हो। जबकि प्रतिस्पर्धी डेटा को थोड़ा-थोड़ा करके स्टोरेज मीडिया पर कॉपी (copy) किया जाता है जिसका उपयोग विश्लेषण और जांच उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

कभी-कभी, हमें संदिग्ध सिस्टम में जांच उद्देश्यों के लिए डेटा की जांच/सत्यापन करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में डिवाइस में डेटा को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए लेखन-अवरोधक (Write-blocker) आवश्यक है। लेखन-अवरोधक एक वाल्व के रूप में काम करता है और इसका उपयोग स्टोरेज डिवाइस पर डेटा के किसी भी आकस्मिक या जानबूझकर संशोधन को रोकने, फोरेंसिक विश्लेषण या साक्ष्य संग्रह के लिए इसकी मूल स्थिति को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। लेखन-अवरोधक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हैं और किसी भी सिस्टम पर लाइव डेटा का विश्लेषण करते समय इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

डेटा का प्रतिबिंबन या छविकृत (mirroring or imaging) मेमोरी की उस क्षमता से अधिक क्षमता वाले स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी की बिट दर बिट कॉपी है जिससे मिररिंग (mirroring) की जाती है। लेखन-अवरोधक के साथ मिररिंग की जानी चाहिए। विशिष्ट फोरेंसिक उपकरण मिररिंग/इमेजिंग की कार्यक्षमता में लेखन-अवरोधक को शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में, मिररिंग केवल मेमोरी में उपलब्ध डेटा की प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि यह पूरी मेमोरी के प्रत्येक मेमोरी सेल की एक बिट दर बिट कॉपी है जिसे प्रतिबिंबित किया जा रहा है।

हैशिंग (Hashing) गैर-अस्थाई (Non-Volatile) माध्यम में मौजूद किसी भी डिजिटल डेटा की फिंगरप्रिंटिंग है और यह किसी भी फाइल, फोल्डर या संपूर्ण मीडिया के संबंध में किया जा सकता है जिसमें डेटा होता है। हैशिंग एक गणितीय एल्गोरिदम है जिसे किसी विशेष डेटा पर निश्चित लंबाई के वर्णों की अल्फा-न्यूमेरिक स्ट्रिंग उत्पन्न करने के लिए लागू किया जाता है और यह समान डेटा का ही रहेगा लेकिन डेटा में कोई भी मामूली बदलाव हैशिंग मान (Value) को पूरी तरह से बदल देगा जिसे तुलना करने पर आसानी से देखा जा सकता है।

हैशिंग प्राथमिक साक्ष्य यानी मूल मीडिया के साथ-साथ मीडिया की प्रतिबिंबित प्रति की जाती है ताकि

यह साबित किया जा सके कि हैश मान (Value) का मिलान करके दोनों के पास बिल्कुल समान डेटा है। विभिन्न हैशिंग एल्गोरिदम इस प्रकार हैं:

- MD5 (Message Digest 5) - एक समय में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था लेकिन अब संभावित टकरावों के कारण कम सुरक्षित माना जाता है।
- SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) - यह भी सुरक्षा में खरा साबित नहीं हो रहा है और धीरे-धीरे खत्म हो रहा है।
- SHA-2 Family (SHA-256, SHA-384, SHA-512)- अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए व्यापक रूप से उपयोगित सुरक्षिऔर अनुशंसित।
- SHA-3 (Secure Hash Algorithm 3) - नया, अधिक कुशल और भविष्य की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किया गया।

हैशिंग के लिए निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध हैं:

हैश चेक: विभिन्न हैश एल्गोरिदम और फाइल स्वरूपों के समर्थन के साथ ओपन-सोर्स, क्रॉस-प्लेटफॉर्म टूल।

हैश टैब: विंडोज टूल जो फाइलों को आसानी से हैश करने के लिए एक्सप्लोरर संदर्भ मेनू (Explorer Context Menu) के साथ एकीकृत होता है।

हैश माई फाइल्स: बैच हैशिंग, हैश मानों की तुलना और रिपोर्ट तैयार करने जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ मल्टी-प्लेटफॉर्म टूल।

एम.डी. 5 हैश जेनरेटर: ऑनलाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए विभिन्न हैश मान उत्पन्न करता है।

SHA-256 ऑनलाइन: आपके डिवाइस से अपलोड की गई हैशिंग फाइलों के लिए सरल वेब टूल।

साइबर शेफ: विभिन्न एल्गोरिदम और कूट लेखन के लिए हैशिंग मॉड्यूल के साथ बहुउद्देश्यीय ऑनलाइन टूलसेट।

ग. कार्यान्वयन: आपराधिक मुकदमे में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी साक्ष्य का उद्देश्य किसी प्रासंगिक तथ्य को सिद्ध/असिद्ध करना और साथ ही साक्ष्य को आरोपी और पीड़ित के साथ जोड़ना है। इसलिए डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करते समय, यह केवल कुछ तथ्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे साक्ष्य और डिजिटल कलाकृतियों के स्रोत और गंतव्य को स्थापित करने के लिए भी है।

- डिजिटल साक्ष्यों के संबंध में, साक्ष्य संबंधी कलाकृतियों का स्रोत और गंतव्य कंप्यूटर/ डिजिटल उपकरण हैं जो कथित या पीड़ित या अपराध के गवाह के हैं। प्रत्येक डिजिटल

फाइल/फोल्डर अपने मेटाडेटा में अपना पहचान विवरण रखता है जबकि उपकरणों का पहचान विवरण सॉफ्ट रूप में होता है और साथ ही उपकरणों पर मुद्रित भी होता है।याद हों कि बी.एस.ए. की धारा 63 (4) के लिए रिकॉर्ड/डेटा की पहचान के साथ-साथ ऐसे रिकॉर्ड बनाने वाले उपकरण के विवरण की आवश्यकता होती है। इसलिए, डिजिटल साक्ष्य का मेटाडेटा और उत्पादक उपकरण का विवरण अदालत में पेश करने के लिए साक्ष्य के भाग के रूप में लिया जाना चाहिए। मेटा डेटाः राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी पर जाएं, आपको मेटा डेटा मिलेगा। क्लोन डिटेक्शन तकनीक का उपयोग करके किसी भी छेड़छाड़ से बचने के लिए छवियों और फोटोग्राफ के लिए जाते समय इसे अपने साथ रखना होगा।

किसी भी डिवाइस का स्वामित्व डिवाइस के कब्जे/बरामदगी के साथ-साथ डिवाइस के पासवर्ड के ज्ञान से साबित किया जाना चाहिए। किसी भी ऑनलाइन खाते के संबंध में, स्वामित्व/कब्जा उपयोगकर्ता आई.डी और पासवर्ड से साबित किया जाना चाहिए। इसे किसी भी ऑनलाइन गतिविधियों के स्थानों, गतिविधियों के लॉग के आई.पी. आदि से भी पुष्ट किया जाता है।

आम तौर पर एंड्रॉइड और अन्य इमेजिंग टूल उनके द्वारा ली गई किसी भी तस्वीर के टाइम स्टैम्प के साथ जियोलोकेशन को कैप्चर करते हैं।

ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

i. रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले कैमरे का समय और स्थान मापांकन (calibration) करना महत्वपूर्ण है।

ii. रिकॉर्डिंग का पूरा प्रकरण बिना किसी रुकावट के होना चाहिए।

iii. तलाशी लेते समय प्रकाश (lighting) की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

iv. अतिरिक्त इसंदा मेमोरी कार्ड साथ रखना जरुरी है।

v. कैमरे की बैटरी की अधिकतम चार्जिंग और सीधे चार्जिंग/ऑपरेटिंग कैमरे के लिए कनेक्टिंग तारों को सुनिश्चित करें।

vi. रिकॉर्डिंग के आरंभ और समाप्ति बिंदु का वर्णन करने के लिए रिकॉर्डिंग में आरंभ और समाप्ति शॉट होना चाहिए।

vii. यदि तलाश को एक मेमोरी कार्ड की क्षमता से लम्बा करना है, तो वहाँ दो ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि अपराध स्थल को रिकॉर्ड करके निरंतरता बनाए रखी जा सके और साथ ही मेमोरी कार्ड के बदलाव को अन्य अतिरिक्त डिवाइस के साथ कैप्चर किया जा सके और उस रिकॉर्डिंग को भी मुख्य मेमोरी कार्ड के साथ संरक्षित किया जाएगा।

viii. यह अभिलेख में लिया जाना चाहिए कि किसी भी रिकॉर्डिंग से पहले मेमोरी कार्ड खाली था।

ix. बरामद साक्ष्यों के पहचान योग्य विवरण को उजागर करते हुए क्लोजअप वीडियोग्राफी के साथ साक्ष्यों की पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया की जानी चाहिए।

x. जब्ती मीमो तैयार करने और गवाहों और संबंधित व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी की जानी चाहिए।

xi. जब्ती मेमो में कैमरे का विवरण, दिनांक/समय और स्टोरेज मीडिया यानी मेमोरी कार्ड का विवरण उल्लेख किया जाना चाहिए जो कैमरे द्वारा उत्पन्न विवरण से मेल खाता हो।

xii. 63(4)(सी) प्रमाणन के लिए डिवाइस के मालिक की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो वास्तव में प्रासंगिक समय पर नियमित रूप से डिवाइस का प्रबंधन करता है।

xiii. धारा 119 दृष्टांत (छ) के बचाव में किसी भी चुनौती से बचने के लिए हमेशा ईमेल हेडर प्रदान करें, ईमेल को सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों में रखें।

अनुलग्नक - II

"सारणीबद्ध तुलना" IEA 1872 की धाराएं बनाम BSA 2023 की धाराएं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ
2	अधिनियमितियों का निरसन	170	निरसन और व्यावृत्ति
3	निर्वचन-खण्ड	2	परिभाषाएं
3 पैरा 1	न्यायालय	2(1)(क)	न्यायालय
3 पैरा 2	तथ्य	2(1)(च)	तथ्य
3 पैरा 3	सुसंगत	2(1)(ट)	सुसंगत
3 पैरा 4	विवाद्यक तथ्य	2(1)(छ)	विवाद्यक तथ्य
3 पैरा 5	दस्तावेज	2(1)(घ)	दस्तावेज
3, से 6	साक्ष्य	2(1)(ड)	साक्ष्य
3 पैरा 7	साबित	2(1)(ञ)	साबित
3 पैरा 8	नासाबित	2(1)(ग)	नासाबित
3 पैरा 9	साबित नहीं हुआ	2(1)(झ)	साबित नहीं हुआ
3 पैरा 10	भारत	-	-
4 पैरा 1	उपधारणा कर सकेगा	2(1)(ज)	उपधारणा कर सकेगा
4 पैरा 2	उपधारणा करेगा	2(1)(ठ)	उपधारणा करेगा
4 पैरा 3	निश्चायक सबूत	2(1)(ख)	निश्चायक सबूत
5	विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा	3	विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा
6	एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति	4	एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
7	वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है।	5	वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है।
8	हेतु , तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण	6	हेतु , तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण
9	सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य	7	विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य
10	सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें	8	वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत हैं
11	वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं	9	वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं
12	नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं	10	रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत है
13	जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य	11	जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य
14	मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित कने वाले तथ्य	12	मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित कने वाले तथ्य
15	कार्य आकस्मिक या साशय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य	13	कार्य आकस्मिक या साशय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य
16	कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है	14	कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है
17	स्वीकृति की परिभाषा	15	स्वीकृति की परिभाषा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
18	स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा	16	स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा
19	उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियॉ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरूद्ध साबित की जानी चाहिए	17	उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियॉ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरूद्ध साबित की जानी चाहिए
20	वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियॉ	18	वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियॉ
21	स्वीकृतियों को उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना	19	स्वीकृतियों को उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना
22	दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियॉ कब सुसंगत होती है	20	दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियॉ कब सुसंगत होती है
22 क	इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं	-	-
23	सिविल मामलों में स्वीकृतियॉ कब सुसंगत होती हैं	21	सिविल मामलों में स्वीकृतियॉ कब सुसंगत होती हैं
24	उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है।	22(1)	उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है।
25	पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना	23(1)	पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति
26	पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरूद्ध न किया जाना	23(2)	पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
27	अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी	23(2)	पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति
28	उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात् की गई संस्वीकृति सुसंगत है	23(1)	उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है
29	अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना	22(2)	उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है
30	साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना	24	साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना
31	स्वीकृतियॉ निश्चायक सबूत नहीं है, किन्तु विबंध कर सकती हैं	25	स्वीकृतियॉ निश्चायक सबूत नहीं है, किन्तु विबंध कर सकती हैं
32	वे दशाएँ जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि	26	वे दशाएँ जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि
33	किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति	27	किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति
34	लेखा पुस्तकों की प्रतिष्टियॉ, जिनमें वे शामिल हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा गया है कब सुसंगत है	28	लेखा-पुस्तकों की प्रतिष्टियां कब सुसंगत हैं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
35	कर्तव्य-पालन में की गई लोक अभिलेख या एलेक्ट्रोनिकी अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति	29	कर्तव्य-पालन में की गई लोक अभिलेख या एलेक्ट्रोनिकी अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति
36	मानचित्रों, चार्टों और रेखांको के कथनों की सुसंगति	30	मानचित्रों, चार्टों और रेखांको के कथनों की सुसंगति
37	किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृत्ति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति	31	किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृत्ति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति
38	विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति	32	विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्ररूप् भी हैं
39	जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाए	33	जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाए
40	द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है	34	द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है
41	प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति	35	प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति
42	धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव	36	धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव
43	धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत है	37	धाराओं 34, 35 और 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
44	निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी	38	निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी
45	विशेषज्ञों की रायें	39(1)	विशेषज्ञों की रायें
45क	इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय	39(2)	विशेषज्ञों की रायें
46	विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य	40	विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य
47	हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है	41(1)	हस्तलेख इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह्क के बारे में राय कब सुसंगत है
47क	इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह्क के बारे में राय कब सुसंगत है	41(2)	हस्तलेख वा हस्ताक्ष के बारे मे राय कब सुसंगत है।
48	अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत है	42	साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत है
49	प्रथाओं, सिद्धान्तों आदि के बारे में रायें कब सुसंगत है	43	प्रथाओं, सिद्धान्तों आदि के बारे में रायें कब सुसंगत है
50	नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है	44	नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है
51	राय के आधार कब सुसंगत है	45	राय के आधार कब सुसंगत है
52	सिविल मामलों मे अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए चरित्र, विसंगत हैं	46	सिविल मामलों मे अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए चरित्र, विसंगत हैं
53	दाण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है	47	दाण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है
53क	कतिपय मामलों में चरित्र या पूर्व लैगिंक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना	48	कतिपय मामलों में चरित्र या पूर्व लैगिंक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना
54	उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा चरित्र सुसंगत नही हैं	49	उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा चरित्र सुसंगत नही हैं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
55	नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला चरित्र	50	नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला चरित्र
56	न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नही है	51	न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नही है
57	वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी	52	वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी
58	स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं हैं	53	स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं हैं
59	मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना	54	मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना
60	मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए	55	मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए
61	दस्तावेजों के अन्तर्वस्तु का सबूत	56	दस्तावेजों के अन्तर्वस्तु का सबूत
62	प्राथमिक साक्ष्य	57	प्राथमिक साक्ष्य
63	द्वितीयक साक्ष्य	58	द्वितीयक साक्ष्य
64	दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना	59	दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना
65	अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा	60	अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा
65क	इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध	62	इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध
65ख	इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता (admissibility)	63	इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता (admissibility)
66	पेश करने की सूचना के बारे में नियम	64	पेश करने की सूचना के बारे में नियम

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
67	जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश किए गए दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना	65	जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश किए गए दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना
67क	इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में सबूत	66	इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे मे सबूत
68	ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना उसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है	67	ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना उसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है
69	जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत	68	जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत
70	अनुप्रमाणिक दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति	69	अनुप्रमाणिक दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति
71	जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत	70	जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत
72	उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नही हैं	71	उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नही हैं
73	हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं	72	हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं
73क	अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत	73	डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत
74	लोक-दस्तावेजें	74(1)	लोक और प्राईवेट दस्तावेज
75	प्राईवेट दस्तावेजें	74(2)	लोक और प्राईवेट दस्तावेज
76	लोक-दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ	75	लोक-दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
77	प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत	76	प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत
78	अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत	77	अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत
79	प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे मे उपधारणा	78	प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे मे उपधारणा
80	साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा	79	साक्ष्य, आदि के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
81	राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राईवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं	80	राजपत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
81क	इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा	81	इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्रों के बारे में उपधारणा
82	मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इग्लैण्ड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा	-	-
83	सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाये गये मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा	82	सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाये गये मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा
84	विधियों के सग्रह और विनिश्चियों की रिपोर्ट के बारे में उपधारणा	83	विधियों के सग्रह और विनिश्चियों की रिपोर्ट के बारे में उपधारणा
85	मुख्तारनामों (power of attorney) के बारे में उपधारणा	84	मुख्तारनामों (power of attorney) के बारे में उपधारणा
85क	इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा	85	इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा
85ख	इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा	86	इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
85ग	इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के बारे में उपधारणा	87	इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के बारे में उपधारणा
86	विदेशी न्यायिक अभिलेखों को प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा	88	विदेशी न्यायिक अभिलेखों को प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा
87	पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा	89	पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा
88	तार संदेशो के बारे में उपधारणा	-	-
88क	इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा	90	इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा
89	पेश न किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा	91	पेश न किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा
90	तीस वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा	92	तीस वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा
90क	पॉच वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा	93	पॉच वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा
91	दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा सम्पत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य	94	दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा सम्पत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य
92	मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन	95	मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन
93	संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन	96	संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन
94	विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरूद्ध साक्ष्य का अपवर्जन	97	विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरूद्ध साक्ष्य का अपवर्जन

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
95	विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य	98	विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य
96	उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों मे से केवल एक को लागू हो सकती है	99	उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों मे से केवल एक को लागू हो सकती है
97	तथ्यों के दो संवर्गो में से, जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक-ठाक लागू नही होती है, उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे मे साक्ष्य	100	तथ्यों के दो संवर्गो में से, जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक-ठाक लागू नही होती है, उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे मे साक्ष्य
98	न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के बारे में साक्ष्य	101	न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के बारे में साक्ष्य
99	दस्तावेज के निबंधनों मे फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा	102	दस्तावेज के निबंधनों मे फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा
100	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति	103	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति
101	सबूत का भार	104	सबूत का भार
102	सबूत का भार किस पर होता है	105	सबूत का भार किस पर होता है
103	विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार	106	विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार
104	साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार	107	साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार
105	यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता हैं	108	यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता हैं
106	विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार	109	विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
107	उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात हैं	110	उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात हैं
108	यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नही गया है, जीवित है	111	यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नही गया है, जीवित है
109	भागीदारों, भू-स्वामी और अधिभारी, मालिक और अभिकर्त्ता के बारे में सबूत का भार	112	भागीदारों, भू-स्वामी और अधिभारी, मालिक और अभिकर्त्ता के बारे में सबूत का भार
110	स्वामित्व के बारे मे सबूत का भार	113	स्वामित्व के बारे मे सबूत का भार
111	उन संव्यवहारों में सद्भाव साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है	114	उन संव्यवहारों में सद्भाव साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है
111क	कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा	115	कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा
112	विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना, वैधता का निश्चायक सबूत है	116	विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना, वैधता का निश्चायक सबूत है
113	राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत	-	-
113क	किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा	117	किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा
113ख	दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा	118	दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा
114	न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा	119	न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा
114क	बलात्कार के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा	120	बलात्कार के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा
115	विबंध	121	विबंध
116	अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध	122	अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
117	विनिमयपत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध	123	विनिमयपत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध
118	कौन साक्ष्य दे सकेगा	124	कौन साक्ष्य दे सकेगा
119	साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना	125	साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना
120	सिविल वाद के पक्षकार और उनके पत्नियां या पति, दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी	126	कतिपय मामलों मे पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता
121	न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट	127	न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट
122	विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं	128	विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं
123	राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य	129	राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य
124	शासकीय संसूचनाए	130	शासकीय संसूचनाए
125	अपराधों के करने के बारे में जानकारी	131	अपराधों के करने के बारे में जानकारी
126	पेशेवर संसूचनाएं	132(1)/(2)	पेशेवर संसूचनाएं
127	धारा 126 दुभाषियों आदि पर लागू होगी	132(3)	पेशेवर संसूचनाए
128	साक्ष्य देने के लिए स्वयमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता	133	साक्ष्य देने के लिए स्वयमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता
129	विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाए	134	विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाए
130	जो साक्षी पक्षकार नही है, उसके हक-अभिलेखों को पेश किया जाना	135	जो साक्षी पक्षकार नही है, उसके हक-अभिलेखों को पेश किया जाना

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
131	उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इन्कार कर सकता है	136	उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इन्कार कर सकता है
132	इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर न देने से क्षम्य न होगा	137	इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर न देने से क्षम्य न होगा
133	सह-अपराधी	138	सह-अपराधी
134	साक्षियों की संख्या	139	साक्षियों की संख्या
135	साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम	140	साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम
136	न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा	141	न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा
137	मुख्य परीक्षा	142	मुख्य परीक्षा
138	परीक्षाओं का क्रम	143	परीक्षाओं का क्रम
139	किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रति परीक्षा (cross examination)	144	किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रति परीक्षा (cross examination)
140	चरित्र का साक्ष्य देने वाले साक्षी	145	चरित्र का साक्ष्य देने वाले साक्षी
141	सूचक प्रश्न	146(1)	सूचक प्रश्न
142	उन्हें कब नही पूछना चाहिए	146(2)/(3)	सूचक प्रश्न
143	उन्हें कब पूछा जा सकेगा	146(4)	सूचक प्रश्न
144	लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य	147	लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य
145	पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे मे प्रतिपरीक्षा (cross examination)	148	पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे मे प्रतिपरीक्षा (cross examination)
146	प्रतिपरीक्षा (cross examination) में विधिपूर्ण प्रश्न	149	प्रतिपरीक्षा (cross examination) में विधिपूर्ण प्रश्न

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
147	साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाये	150	साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाये
148	न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जायेगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा	151	न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जायेगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा
149	युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जायेगा	152	युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जायेगा
150	युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय के प्रक्रिया	153	युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय के प्रक्रिया
151	अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न	154	अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न
152	अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न	155	अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न
153	सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खण्डन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन	156	सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खण्डन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन
154	पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न	157	पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न
155	साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप	158	साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप
156	सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होगे	159	सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होगे
157	उसी तथ्य के बारे में पश्चात्वर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेगे	160	उसी तथ्य के बारे में पश्चात्वर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेगे

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	
धाराएं	शीर्षक	धाराएं	शीर्षक
158	साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत है, कौनसी बाते साबित की जा सकेगी	161	साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 26 या 27 के अधीन सुसंगत है, कौनसी बाते साबित की जा सकेगी
159	स्मृति ताजा करना	162	स्मृति ताजा करना
160	धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य	163	धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य
161	स्मृति ताजा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार	164	स्मृति ताजा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार
162	दस्तावेजों का पेश किया जाना	165	दस्तावेजों का पेश किया जाना
163	मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य का रूप् में दिया जाना	166	मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य का रूप् में दिया जाना
164	सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया है, उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग मे लाना	167	सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया है, उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग मे लाना
165	प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायधीश की शक्ति	168	प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायधीश की शक्ति
166	जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति	-	-
167	साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा	169	साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा